Forest, (vi) Expenditure, (vii) Ministry of Home Affairs (Inter State Council), (viii) Social Justice, (ix) Women & Child Development, ;(x) Heavy Industry, (xi) Industrial Development, (xii) Petroleum & Natural Gas, (xiii) Power, (xiv) Railways, (xv) Textiles, (xvi) Urban Affairs & Employment, (xvii) Chemicals & Petro Chemicals, (xviii) Tele Communication and (xix) Post, were invited to attend the 35th Session of the Standing Labour Committee held in New Delhi on 6.2.99. This Session was attended by the officers of the rank of Additional Secretary and Joint Secretary except from Department of Industrial Policy. Promotion & Industrial Development and Ministry of Power which were represented by officers of the rank of Director/Deputy Secretary. The representative from Department of Expenditure and Ministry of Petroleum & Natural Gas did not attend the meeting. The representative of the Central Ministries intervene in the discussions, only when some need arises to that effect or when the- Chairman desires them to speak. Because of the shortage of time no representative of the Central Ministries, excepting the Ministry of Labour spoke in the meeting.

प्रदेश में महिला श्रमिक बल

3003. **प्रो0 रामबख्श सिंह वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला श्रमिक बल की संख्या के संबंध में कोई सवेंक्षण कराया हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या यह सच हैं कि महिलाओं को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती हैं, और

(घ) यदि हां, तो महिलाओ का शोषण रोकने के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या-क्या कदम उठाये गये ?

श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हां । भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा सवेंक्षण के निष्कषों को यूनियन प्राइमरी सेंमस एब्सट्रैक्ट, 1991 में प्रकाशित किया गया हैं । महिला कामगारों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं । (नीचे देखिये)

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आनेवाले अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन का प्रावधान हैं । समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी को निर्धाथ्रत/संशोधित करते समय मजदूरी दरों को प्रभावित करने वाली स्थानीय परिस्थितियों तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाता हैं । यह अधिनियम लिंगभेद के आचार पर कोई भेद नहीं करता हैं जब कभी भी इस अधिनियम के उल्लंघन की कोई घटना समुचित सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं तो स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं ।

विवरण

महिला कर्मकारों की राज्य-वार संख्या (1991 **की जनगणना**)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कर्मकारों की संख्या
	भारत	89,767,563
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरुणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886
7.	हरियाणा	821,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,985
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454
13.	मणिपुर	350,134
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964,
16.	नागालैंड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,991
18.	पंजाब	418,646
19.	राजस्थान	5,744,129
20.	सिक्किम	57,790

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कर्मकारों की संख्या
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310
24.	पं0 बंगाल	3,662,855
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16,584
26.	चड़ीगढ़	29,443
27.	दादर और नगर हवेली	32,944
28.	दमन और दीव	11,584
29.	दिल्ली	314,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911

नोटः जम्मू एवं कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं करवायी गई ।

देश में श्रम-शक्ति का आकलन

3004. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री राज मोहिन्दर सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध कुल श्रम-शक्ति के संबंध में कोई आकलन किया हैं,

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कुल कितनी श्रम-कितनी होने का अनुमान हैं,

(ग) क्या यह भी सच हैं कि देश में सबसे अधिक श्रम-शक्ति का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता हैं,

(घ) यदि हां, तो कुल श्रम-शक्ति का कितना प्रतिशत कृषि-क्षेत्र में कार्यरत हैं, और

(ड़) इस क्षेत्र के श्रमिक की प्रति-व्यक्ति प्रति-दिन औसत आय क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया) : (क) और(ख) 9वीं योजना को तैयार करने के दौरान देशमें उपलब्ध कुल श्रम बल का अनुमान लगाया गया । 1997 के दौरान अनुमानित कुल श्रम बल 397.22 मिलियन था ।

(ग) और (घ) 1993-94 में राष्ट्रीय नमूना सवेंक्षण संगठन द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए नवीनतम पंचवर्षीय सवेंक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में लगा श्रम बल लगभग 63 प्रतिशत हैं । चूंकि श्रम बल में बेरोजगार व्यक्ति भी शामिल हैं अतः केवल कृषि क्षेत्र में लगे श्रम बल का ही प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता हैं ।

(ड़) एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दर भिन्न-भिन्न होती हैं । केन्द्र क्षेत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी 77.12 रुपये से लेकर 84.12 रुपये तक हैं ।

रोजगार की वार्षिक वृद्धि-दर

3005. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री कपिल सिब्बल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार की वार्षिक-दर का आकलन किया हैं,

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजित करने की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही हैं,

(ग) क्या यह भी सच हैं कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजित करने की वार्षिक वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या लक्ष्य क्या हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद योजना के अंत में बेरोजगारों की संख्या क्या होगी ?

श्रम मंत्री (श्री सत्यनारायण जटिया) : (क) और(ख) योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, सामान्य स्तर के अनुसार 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के लिए रोजगार में वर्ष 1992-97 की अवधि के दौरान 2.67% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई हैं ।

(ग) और (घ) योजना एवं इसके क्षेत्रीय संयोजन के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वृद्धि के आधार पर योजना आयोग द्वारा 9वीं योजना के दौरान रोजगार अवसरों में वृद्धि का मूल्यांकन किया गया हैं । इस मूल्यांकन के अनुसार 9वीं योजना के दौरान 2.44% वार्षिक दर से रोजगार में वृद्धि अपेक्षित हैं । 9वीं योजना के दौरान औसत वार्षिक बेरोजगारी 7 मिलियन आंकी गई हैं ।